बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री सुशील मरांडी, निलंबित, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़ियॉ सदर के विरूद्व विभागीय जॉच में बिहार राशन कूपन योजना 2006 एवं बिहार राशन किरासन कूपन योजना के प्रावधानों के उल्लंघन एवं विभागीय पत्रांक 859 दिनांक 19.02.2001 के प्रावधानों के अनुरूप निरीक्षण नही करने के आरोप में विभागीय आदेश ज्ञापांक 2895 दिनांक 10.05.2012 द्वारा निलंबित करते हुए ज्ञाप सं0 4935 दिनांक 06.08.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी के अधिगम के समीक्षोपरांत आरोप अंशतः प्रमाणित होने के आलोक में दो वेतनवृद्वि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड संसूचित करते हुए इस आरोप प्रकरण को समाप्त किाय जाता है तथा निलंबन से मुक्त किया जाता है। श्री मरांडी के निलंबन अवधि की सेवा पेंशन प्रदायी होगी तथा निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नही होगा।

18/10/2012

(सुरेश ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र08 गो0 आ0 खगड़ियॉ 25/2012 6769 खाद्य, पटना दिनांक– 18/10/2012

प्रतिलिपि – जिला पदाधिकारी, खगड़ियॉ/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़ियॉ/ प्रशाखा पदा0– 03/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुशील मरांडी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़ियॉ सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/10/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:sec-8/ nilaban adesh